न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया से के समक्ष

कैलाश कुमारी और अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

भोला और अन्य, - *उत्तरदाता।*

***एफ.ए.ओ.* 1987 *का* 766।**

2 मई, 1989।

मोटर यान अधिनियम, 1939- धारा *92, 110-क-* प्रशुल्क सलाहकार समिति- दिनांक 13 मार्च, 1978 *के अनुदेश - यात्री की देयता - निजी मोटर कार में सवार लोगों को भाड़े या पुरस्कार के लिए नहीं ले जाया जाता है - प्रशुल्क सलाहकार समिति के अनुदेश - ऐसे यात्रियों या उनके दावेदारों के पक्ष में बीमा का अधिकार सृजित करना* - अनुदेश बाध्यकारी हैं।

यह माना गया कि टैरिफ सलाहकार समिति ने 13 मार्च, 1978 के अपने निर्देशों द्वारा बीमा कंपनियों को निजी कार में ले जाने वाले यात्रियों के संबंध में बीमा कंपनी की देयता के संबंध में निर्देश दिए थे। समिति द्वारा यह निदेश दिया गया था कि सभी मौजूदा पॉलिसियों को बीमा पॉलिसियों में इस संशोधन को शामिल करने के लिए माना जाना चाहिए, जो निम्नलिखित प्रभाव का है:-

> मोटर कार में सवार लोगों सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट इस शर्त पर कि ऐसे लोगों को किराए या इनाम के लिए नहीं ले जाया जाए।

इन अनुदेशों का सांविधिक बल है। बीमा कंपनी अब राज्य की एक सहायक कंपनी है जो टैरिफ सलाहकार समिति के वैधानिक निर्देशों से बाध्य है।

(पैरा 3)

आयोजित किया गया, टैरिफ सलाहकार समिति के अनुदेश जो एक सांविधिक निकाय है, प्रत्येक में शामिल माना जाएगा

कैलाश कुमारी और अन्य *वी.* भोला और अन्य (जी. आर. मजीठिया, जे.

बीमा का अनुबंध। यहां तक कि अगर अनुबंध में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो न्यायालय इसे बीमा पॉलिसी में इतना पढ़ेगा कि टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा दिए गए निर्देशों को बीमा पॉलिसी में शामिल किया गया था। बीमा पॉलिसी में निर्देशों को पढ़ने के बाद, न्यायालय इसे प्रभावी करेगा। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि बीमा कंपनी दायित्व से बच नहीं सकती है। वाहन का मालिक वैध रूप से कह सकता है कि पॉलिसी के तहत, बीमा कंपनी यात्री की मृत्यु के लिए दावेदारों को भुगतान करने के लिए बाध्य थी।

(पैरा 4 और 5)

पहली अपील श्री आर एन सिनागल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अंबाला के न्यायालय के दिनांक 18 मई, 1987 के आदेश से की गई जिसमें *10,000/- रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।*(ख) प्रतिवादियों की संख्या 2,24,640 (दो लाख,

चौबीस हजार, छह सौ चालीस) दावेदारों को 2,24,640 *रुपये (दो लाख, चौबीस हजार, छह सौ चालीस) की राशि जारी की गई है।* 1 और *2,* जो याचिका की तारीख से या भुगतान की तारीख तक 12 *प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावेदारों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग इस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। नाबालिगों के हिस्से की राशि को सावधि जमा में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा। उनकी माता श्रीमती कैलाश कुमारी नियमित रूप से ब्याज निकालने की हकदार होंगी और बच्चों/नाबालिगों के कल्याण के लिए राशि खर्च की जा रही हैं, इसका उचित लेखा-जोखा रखेंगी। नाबालिग दावेदार बालिग होने के बाद इस राशि को वापस लेने के हकदार होंगे।*

दावा: – मोटर वाहन अधिनियम की धारा 92 और 110-ए के तहत दावा याचिका।

अपील में दावा:- निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

हरिंदर सिंह ज्ञानी। *अपीलकर्ताओं के लिए वकील।*

प्रतिवादी संख्या 10 *की ओर से अविनाश चंद्र जैन, वकील।* 2.

एस. के. शर्मा, वकील, *प्रतिवादी संख्या 10 के लिए।* 5.

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे. (मौखिक)

(1) दावेदार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील में आए हैं। उनकी एकमात्र शिकायत यह है कि

कि ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी के खिलाफ दावे को अस्वीकार करके गलती की। -

(2) विद्वान ट्रिब्यूनल ने सही पाया कि दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 1 की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। मृतक सरकारी कर्मचारी था और अपनी मृत्यु के समय 1750.20 पैसे का मासिक वेतन ले रहा था। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों की निर्भरता निर्धारित की और माना कि मृतक अपने आश्रितों के रखरखाव के लिए प्रति माह 1170 रुपये का योगदान दे रहा था। मृतक की मृत्यु की तारीख को उसकी उम्र 46 वर्ष थी। ट्रिब्यूनल ने '16' के गुणक को लागू किया और पाया कि दावेदार मुआवजे के रूप में 2,24,640 रुपये के हकदार हैं। इस राशि को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

(31) विद्वान ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक को एक निजी कार में एक मुफ्त यात्री के रूप में ले जाया जा रहा था और बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून द्वारा अस्थिर है। टैरिफ सलाहकार समिति ने 13 मार्च, 1978 के अपने निर्देशों द्वारा निजी कार में यात्रियों के संबंध में बीमा कंपनियों की देयता के संबंध में बीमा कंपनियों को निर्देश दिए थे। समिति द्वारा यह

निदेश दिया गया था कि सभी मौजूदा पॉलिसियों को बीमा पॉलिसियों में इस संशोधन को शामिल करने के लिए माना जाना चाहिए जो निम्नलिखित प्रभाव का है -

> मोटर कार में सवार लोगों सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट बशर्ते कि ऐसे लोगों को किराए या इनाम के लिए नहीं ले जाया जाए।

इन अनुदेशों का सांविधिक बल है। बीमा कंपनी अब राज्य की एक सहायक कंपनी है जो टैरिफ सलाहकार समिति के वैधानिक निर्देशों से बाध्य है। इसके अलावा, बीमा पॉलिसी प्रदर्शनी आर 1 की धारा 2 तीसरे पक्ष को देयता से संबंधित है। धारा II का खंड (1) निम्नलिखित शब्दों में है -

> "1. कंपनी बीमाधारक को उसके उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटना या उत्पन्न होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति करेगी।

दावेदार की लागत और व्यय सहित सभी राशियों के खिलाफ मोटर कार, जो बीमाधारक कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा-

(1) मोटर कार में सवार लोगों सहित किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए यह प्रावधान है कि ऐसे रहने वालों को किराए या इनाम के लिए नहीं ले जाया जाता है, लेकिन जहां तक मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 95 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, कंपनी बीमित व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के रोजगार के दौरान ऐसी मृत्यु या चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) बीमित व्यक्ति से संबंधित या बीमित व्यक्ति की हिरासत या नियंत्रण में ट्रस्ट में रखी गई संपत्ति को नुकसान।

इस खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यात्री की देयता भी कवर की जाती है। यह कहना कि पॉलिसी यात्रियों की देयता को कवर नहीं करती है, निराधार है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक समान मामला विचार के लिए आया था । बहुत। *एच सिद्धलिंग नायका और अन्य* (1)। पीठ ने अपने पूर्व के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि :-

"इस न्यायालय के पास इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस बनाम इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस *मामले* में इसी तरह के एक खंड से निपटने और इसकी व्याख्या करने का अवसर था *।गौरम्मा,* आई.एल.आर. 1979 (1) कर्नाटक 887. नीति में इसी तरह के खंड की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने एक खंडपीठ द्वारा कहा है कि खंड में यात्री दायित्व भी शामिल है। इसलिए हमारे समक्ष उठाए गए इस विवाद में कोई दम नहीं है कि नीति जीप में यात्री देयता को कवर नहीं करती है।

(4) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने *पुष्पाबाई पुरुषोत्तम उदेशी* पर भरोसा किया। *रंजीत जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी।*

(1) 1985 ए.सी.जे.

(2) इस प्रस्ताव के समर्थन में कि बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है जब यात्री को किराए या इनाम के बिना ले जाया जाता है। यह निर्णय विद्वान वकील को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। शीर्ष अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि किसी यात्री को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी की कोई वैधानिक देयता नहीं है, लेकिन बीमा का अनुबंध अन्यथा प्रदान कर सकता है। टैरिफ सलाहकार समिति के अनुदेश जो एक सांविधिक निकाय है, बीमा के प्रत्येक संविदा में शामिल माना जाएगा। यहां तक कि अगर अनुबंध में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो न्यायालय इसे बीमा पॉलिसी में इतना पढ़ेगा कि टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा दिए गए निर्देशों को बीमा पॉलिसी में शामिल किया गया था। बीमा पॉलिसी में निर्देशों को पढ़ने के बाद, न्यायालय इसे प्रभावी करेगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय उसी तारीख को दिया गया था, जब टैरिफ सलाहकार समिति के निर्देश लागू हुए थे। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के मामले में दुर्घटना उक्त समिति के निदेश जारी होने से पहले 18 दिसम्बर, 1960 को हुई थी।

(5) टैरिफ सलाहकार समिति के अनुदेश जारी होने के बाद बीमा कंपनी दायित्व से बच नहीं सकती है। वाहन का मालिक वैध रूप से कह सकता है कि पॉलिसी के तहत, बीमा कंपनी यात्री की मृत्यु के लिए दावेदारों को भुगतान करने के लिए बाध्य थी। बीमा कंपनी ने रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं दिया है कि उसकी देयता सीमित है। किसी भी सबूत के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि बीमा कंपनी की देयता असीमित है।

(6) उपरोक्त कारणों से, इस अपील को लागत के साथ अनुमति दी जाती है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को संशोधित किया गया है और यह आदेश दिया गया है कि ब्याज के साथ मुआवजे की राशि प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 5 द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग देय होगी। वकील की फीस 1000 रुपये आंकी गई है।

आर.एन.आर.

(2) 1977 ए.सी.जे. 343
(एस.सी.)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरुग्राम

(2) 1977 ए.सी.जे. 343
(एस.सी.)